सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें
13, वुड स्ट्रीट,
कोलकाता –700016 (पश्चिम बंगाल)
13, Wood Street,
Kolkata-700016 (West Bengal)
फैक्स/Fax : 033 - 22879038
दूरभाष/Telephone : 033 - 22875732/33/34
ई–मेल/e-mail : wbs.gdc.soi@gov.in

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
Survey of India
पश्चिम बंगाल व सिक्किम
भू–स्थानिक आंकड़ा केन्द्र
W.B. & SIKKIM GEO-SPATIAL DATA CENTRE
कोलकाता KOLKATA

कार्यालय आदेश सं. 33 /37-G-20 दिनांक. 21.04.2022

महासर्वेक्षक का कार्यालय का पत्र स०ब-2033/1117-पेंशन नियम / अदालत दिनांक 20.04.2022 द्वारा प्राप्त भारत सरकार, पेंशनभोगी लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के कार्यालय पत्त सं. 1/39/2021-P&PW(E) दिनांक 21-03-2022 एवं D.O.No.1/39/2021-P&PW (E) दिनांक 10.01.2022 के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 5 मई, 2022 को पेंशन अदालत का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ऑफ लाईन माध्यम से किया गया है | पेंशन अदालत का स्थल 13, वुड स्ट्रीट में स्थित इस कार्यालय के सभागार में होगा । इसमें इस कार्यालय से जुड़े पेंशन धारियों की शिकायतों के निवारण का प्रयास किया जायेगा ।

पेंशन आदालत में निम्नलिखित अधिकारी सम्मिलित रहेंगे, जो पेंशन शिकायतों के त्वरित निष्पादन में सहयोग करेंगे ।

1. श्री उदय शंकर प्रसाद, निदेशक, अध्यक्ष
2. श्री देबब्रत पालित, अधीक्षक सर्वेक्षक, सदस्य
3. श्री बादल मैत्र, स्थापना एवं लेखा अधिकारी, सदस्य (उपस्थित DDO)
4. श्री स्वपन कुमार सरकार, सहायक, प्रभारी लेखा अनुभाग, सदस्य
5. श्री मनोज मंडल, प्रवर श्रेणी लिपिक, सदस्य

पेंशन धारियों से अनुरोध किया जाता हैं कि वे अपनी शिकायतों तकलीफों/ Complaints/Grievances) को पेंशन अदालत में लाने से पूर्व कार्यालय में निम्नलिखित ई मेल id पर 27-04-2022 तक सूचित करे, ताकि सुनवाई से पहले उनके शिकायतों का अध्यन किया जा सके ।

wbs.gdc.soi@gov.in

उ शं प्रसाद
21.04.22

(उदय शंकर प्रसाद)
निदेशक
पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम जी.डी.सी., कोलकाता

प्रतिलिपि: -

1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर महासर्वेक्षक, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता, आपसे अपने कार्यालय के एक अधिकारी को इस पेंशन अदालत में (online) भाग लेने के लिए नामित करने का अनुरोध किया जाता है।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी, क्षेत्रिय वेतन एवम् लेखा कार्यालय, कोलकाता। आपसे अनुरोध किया जाता है कि पेंशन अदालत मे अपने कार्यालय से एक अधिकारी को नामित करें जिससे कि पेंशन शिकयतों का त्वरित निष्पादन किया जा सके।
4. वेबसाईट एडमिन, भारतीय सर्वक्षण विभाग को वेबसाईट पर प्रदशर्न हेतु।
5. अधीक्षक सर्वेक्षक/ स्थापना एवं लेखा अधिकारी/ प्रभारी विंग-I&II/ तकनीकी/ प्रशा/ प्रभारी लेखा अनुभाग/कार्मिक अनुभाग/ भण्डार अनुभाग।